न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **391 / 2025** अन्तर्गत धारा **251A** RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चेनाराम पुत्र लाला 2. चौखाराम पुत्र दुदाराम 3. तुलछीदेवी पत्नी दुदाराम 4. प्रहलादराम पुत्र दुदाराम 5. बाबूराम पुत्र जयराम 6. भगराराम पुत्र जयराम 7. भोमाराम पुत्र महेशाराम 8. भोमाराम पुत्र जयराम 9. मोनाराम पुत्र दुदाराम 10. रूखमो पत्नी लाला 11. रूपाराम पुत्र दुदाराम 12. रामा पुत्र लाला 13. वगताराम पुत्र जयराम जाति जाट, निवासी मांगीणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर		1 इन्द्रसिंह पुत्र राजसिंह 2 वीरसिंह पुत्र रतनसिंह 3 सवाईसिंह पुत्र रतनसिंह 4 केंकूकंवर पत्नी रतनसिंह 5 गेमरसिंह पुत्र राजसिंह 6 डूंगरसिंह पुत्र प्रतापसिंह 7 तनसिंह पुत्र रतनसिंह 8 पूजाकंवर पत्नी रतनसिंह 9 बैरीसालसिंह पुत्र प्रतापसिंह 10 रमेशसिंह पुत्र रतनसिंह 11 रिड़मलसिंह पुत्र प्रतापसिंह 12 उम्मेदसिंह पुत्र ईशरसिंह 13 जड़ावकंवर पत्नी सावलसिंह 14 जुझांरसिंह पुत्र सावलसिंह 15 मेगसिंह इशरसिंह 16 मूलसिंह पुत्र इशरसिंह 17 सांगसिंह पुत्र इशरसिंह 18 हिंगोलसिंह पुत्र इशरसिंह 19 हिम्मतसिंह पुत्र इशरसिंह 20 उतमसिंह पुत्र सुजानसिंह 21 गुलाबसिंह पुत्र हड़वंतसिंह 22 गीताकंवर पत्नी मदनसिंह 23 भीमसिंह पुत्र सुजानसिंह 24 किशनकंवर पत्नी रूपसिंह 25 गवरी पत्नी अमरसिंह 26 तगसिंह पुत्र रूपसिंह 27 नरपतसिंह पुत्र रूपसिंह 28 पूनमसिंह पुत्र प्रागसिंह 29 मगसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत, निवासी मांगीणी, तहसील शिव, बाड़मेर 30 आदूराम पुत्र महेशाराम 31 खेताराम पुत्र महेशाराम 32 चेनाराम पुत्र नरसिंह 33 पूनमा पुत्र ताजा – फौत के वारिश 33.1 किशनाराम पुत्र पूनमाराम 33.2 रेखाराम पुत्र पूनमाराम 33.3 पताराम पुत्र पूनमाराम 34 भोमाराम पुत्र महेशाराम 35 भोमाराम पुत्र दुदाराम जाति जाट, निवासी नांद, तहसील बाड़मेर ग्रामीण, बाड़मेर 36 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शिव 37 शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लखा 38 शाखा प्रबंधक, दी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक शिव 39 शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शिव 40 शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 6, 9, 11 से 20 व 24 – श्री अभयसिंह राठौड़।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.03.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 21.9096 हैक्टेयर मौजा मांगीणी, तहसील शिव में आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण को [illegible] में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के मौजा मांगीणी, तहसील [illegible] के [illegible] खसरा नम्बर 5, 278 / 106, 341 / 107, 335 / 104, 103 रकबा क्रमशः 108.0347, 17.6766, [illegible] 50, 3.7798, 14.7710 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु [illegible] प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन ला[illegible] ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 101 तक आवागमन हेतु प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते का प्रस्ताव व अन्य विकल्प होना दर्शाया जाकर प्रेषित की गई है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 532 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 492 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पंहुचने हेतु वर्तमान में कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य वैकल्पिक रास्ता निकटतम एंव लघुतम है परन्तु खसरा नम्बर 292/119 में छोटा बांध बना हुआ है। उक्त प्रस्तावित मार्ग व वैकल्पिक मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। विप्रार्थी संख्या 6, 9, 11 से 20 व 24 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 6, 9, 11 से 20 व 24 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुए मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने, उक्त आवेदन हम विप्रार्थीगण को नाहक परेशान करने एवं हमारी भूमि को नष्ट करने के आशय से पेश किया हुआ होने तथा अन्य निकटतम एवं लघुतम विकल्प उपलब्ध होने कथन करते हुए आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पुनः मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 532 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 492 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत किसी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पंहुच हेतु आत्यांतिक आवश्यकता होने पर निकटतम, लघुतम एवं सुगम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। उक्त आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता चाहे जाने पर मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 532 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है जबकि अन्य वैकल्पिक रास्ता अनुसार प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 492 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पंहुचने हेतु वर्तमान में कोई चलायमान रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्य वैकल्पिक रास्ता निकटतम एंव लघुतम है परन्तु खसरा नम्बर 292/119 में छोटा बांध बना हुआ होने से सुगम नहीं है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुगम होने से रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु मौजा मांगीणी में विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के खसरा नम्बर 278/106 रकबा 17.6766 हैक्टेयर में से रकबा 0.1618 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 20 से 23 के खसरा नम्बर 103 रकबा 14.7710 हैक्टेयर में से रकबा 0.0728 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 12 से 19 के खसरा नम्बर 335/104 रकबा 3.7798 हैक्टेयर में से रकबा 0.0404 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 24 से 29 के खसरा नम्बर 341/107 रकबा [illegible] हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का अन्य निकटतम विकल्प उपलब्ध है किन्तु खसरा नम्बर 292/119 में बांध बना हुआ होने से सुगम विकल्प नहीं है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार होने तथा उन्हे सूचित नहीं किये जाने का कथन किया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया, जिससे स्पष्ट हो कि मौका रिपोर्ट एकतरफा तैयार की गई हो। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं सुगम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि में वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी

उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:05 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 101 रकबा 21.9096 हैक्टेयर मौजा मांगीणी, तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा बरंग लाल अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 11 के खसरा नम्बर 278/106 रकबा 17.6766 हैक्टेयर में से रकबा 0.1618 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 20 से 23 के खसरा नम्बर 103 रकबा 14.7710 हैक्टेयर में से रकबा 0.0728 हैक्टेयर, विप्रार्थी संख्या 12 से 19 के खसरा नम्बर 335/104 रकबा 3.7798 हैक्टेयर में से रकबा 0.0404 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 24 से 29 के खसरा नम्बर 341/107 रकबा 1.2950 हैक्टेयर में से रकबा 0.0485 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव, बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
शिव, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:53:05 IST
Reason: SelfAttested